

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी
समाज कल्याण विभाग

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्रात महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणेसाठी महिला
सक्षमिकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून प्रस्ताव मागविणेबाबत.

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेकडून महिला व बाल कल्याण योजनेअंतर्गत सन
२०२० -२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्रात महिलांसाठी समुपदेशन
केंद्र चालविणेसाठी महिला सक्षमिकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांकडून सोबत जोडलेला नमुना अर्ज, अटी
व शर्तीनुसार दिनांक २५/०४/ २०२१ ते दिनांक ४/०५/२०२१ या कालावधीत अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव
मागविण्यात येत आहेत. सदरचे प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या समाज कल्याण विभागात दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत
स्विकारण्यात येतील.

उप आयुक्त (समाज कल्याण)
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी समाज कल्याण विभाग

**भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्रात महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणेसाठी महिला
सक्षमिकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाकडून प्रस्ताव मागविणेबाबत.**

जाहिर सुचना

| | |
|----|---|
| १ | संस्थेने विहित नमुन्यातील अर्ज पुर्णपणे भरून सर्व माहिती व कागदपत्रासह उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा. |
| २ | संस्था भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्रात काम करण्यास इच्छुक असावी. |
| ३ | स्वयंसेवी संस्था नोंदणीकृत असावी. |
| ४ | सदर संस्थेने काळया यादीत नाव नसलेबाबतचे हमीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. |
| ५ | संस्थेस शासकीय/निमशासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे समुपदेश केंद्र चालविण्याचा ३ वर्षाचा अनुभव असावा. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील संस्थेने द्यावा. काम पुर्णत्वाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. (कार्यादेश चालणार नाही) |
| ६ | संस्थेचा ३ वर्षाचा कार्य अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. |
| ७ | संस्थेच्या मागील ३ वर्षातील आर्थिक उलाढालीचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. मागील ३ वर्षाच्या लेखाच्या प्रती सदर लेखापालच्या प्रमाणपत्रासह कराव्यात. |
| ८ | संस्था आर्थिक दृष्ट्या समुपदेशन/मदत केंद्र चालिवण्यास सक्षम असावी (Audit Report) व संस्थेची आर्थिक उलाढाल किमान २ लाख प्रतिवर्ष इतकी असावी. |
| ९ | संस्थेकडे अनुभवी समुपदेशक कर्मचारी म्हणजेच संस्थेकडील कर्मचारी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची यादी सोबत जोडण्यात यावी व विधी सल्लागार उपलब्ध असावेत. त्याचा सविस्तर तपशिल संस्थेन उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. (समुपदेशक मानसशास्त्र विषयात पदवी किंवा पदवीतर किंवा msw असणे गरजेचे आहे) |
| १० | संस्थेकडे महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व विधी साक्षरता कायदेशीर विषयक उपक्रमाचा अनुभव असावा. |
| ११ | संस्था निवडीचे संपुर्ण अधिकार मा. आयुक्त सो/ मा. अतिरिक्त आयुक्त सो. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी किंवा त्यांनी नेमुन दिलेल्या प्रतिनिधी यांना राहील. |


 उप आयुक्त (समाज कल्याण)
 भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी
समुपदेशन प्रस्ताव अर्ज

नवीन प्रशासकीय इमारत, जुनी एस.टी.स्टॅन्ड, जकात नाका, भिवंडी

प्रति,

मा. उपआयुक्त,

समाज कल्याण विभाग

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-------------------|--|---------------|--|
| १ | संस्थेचे नाव : | | | | | |
| २ | संस्थेचे अध्यक्षाचे नाव : मोबाईल क्र. | | | | | |
| ३ | संस्थेचा कार्यालयीन पत्ता : | | | | | |
| ४ | संस्था नोंदणी क्र. संस्था नोंदणी दिनांक | | | | | |
| ५ | संस्थेचे पॅन कार्ड नं | | | | | |
| ६ | संस्थेचे एकूण कर्मचारी वर्ग व तपशील: | | | | | |
| | अ.क्र | नाव | शैक्षणिक अहत्ता | अनुभव | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ७ | संस्था राबवित असलेले उपक्रम तपशील. (स्वतंत्र तपशील जोडण्यात यावा.) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ८ | संस्था भिवंडी शहरात कार्यरत आहे का? होय/नाही | | | | | |
| ९ | संस्थेला विषयाचा किती वर्षाचा अनुभव आहे ?वर्ष | | | | | |
| १० | अ.क्र. | काम केलेल्या संस्थेचे नाव व पत्ता | शासकीय/ निमशासकीय | कामाचे स्वरूप (सामाजिक, आर्थिक, विधी, कायदेशीर) | कालावधी | |
| | | | | दिनांकापासून | दिनांकापर्यंत | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ११ | खर्चाचे / मानधनाचे अंदाजपत्रक सोबत जोडावे. | | | | | |

या अन्वये प्रतिज्ञापुर्वक असे जाहीर करतो/करते की, वरील माहिती जाणीवपुर्वक तसेच विश्वासपुर्वक दिली असून ती खरी आहे. त्यापैकी कोणतीही माहिती खोटी आढळून आल्यास माझा अर्ज फेटाळून लावल्यास त्याबाबत माझी कोणतीही तक्रार राहणार नाही.

सही व शिक्का